अतिमहत्वपूर्ण /अतिआवश्यक

संख्या : शिक्षा (प्रा0)एच0 (6)3–10/2020
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला– 171001 अगस्त, 2020

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
25 AUG 2020
शिमला–1

प्रेषित :–
1. समस्त उप निदेषक (उच्च शिक्षा), हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), हिमाचल प्रदेश ।

विषय :– "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत कक्षा पहली से बाहरवी के छात्र–छात्राओं को वर्ष 2019–20 की वर्दियों की आपूर्ति एवम् आवंटन वारे दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत कक्षा पहली से बाहरवी के सभी छात्र–छात्राओं को वर्ष 2019–20 की वर्दियों की आपूर्ति(Supply) भी वर्ष 2018–19 की वर्दियों के रंग, डिजाइन व specifications के अनुसार ही की जाएगी, जिसके अनुमोदित मास्टर सैंम्पलज छात्र– छात्राओं के अलग–2 आपको वर्ष 2018–19 में उपलब्ध करवाये गये हैं तथा इन्ही मास्टर सैंम्पलज के अनूसार ही वर्ष 2019.20 की वर्दियों की आपूर्ति भी शिक्षा विभाग के प्राप्तकर्ता अधिकारियों द्वारा प्राप्त की जानी है। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा वर्ष 2019–20 की वर्दियों की आपूर्ति हेतु L-I कम्पनी M/s Mafatlal Industries Ltd., Corporate Office, Kaledonia, Office No. 3, 6th Floor, Sahar Road, Andheri(East), Mumbai-400069 को दिनांक 07.08.2020 को आपूर्ति आदेश(Supply Order)(परचेज आर्डर न0 1–620–2020) जारी किया गया है(**छायाप्रति संलग्न**)। यह अपेक्षित है, कि वर्दियों की आपूर्ति शिक्षा विभाग के विभिन्न चिन्हित प्रात्तकर्ता अधिकारियों (BEEOs/Principals GSSS) के कार्यालय में इस वर्ष सितम्बर माह के आरम्भ मे प्राप्त होना आरम्भ हो जाएगी। इस सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि आप उक्त आपूर्ति आदेश(Supply Order) दिनांक 07.08.2020 की छायाप्रति आप अपने जिला के सभी चिन्हित प्राप्तकर्ता अधिकारियों (Indenting Officers)को शीघ्र उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ताकि वह वर्दियों की आपूर्ति उक्त आपूर्ति आदेश(Supply Order)में निर्धारित नियमों एवम् शर्तो के आधार पर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इस सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त चिन्हित वर्दी प्रात्तकर्ता अधिकारियों (BEEOs/Principals GSSS) को निम्न दिशा– निर्देश शीघ्र जारी करने की कृपा करें:–

1. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा वर्ष 2019–20 की स्कूल वर्दियों की आपूर्ति हेतु दिनांक 7.08.2020 को जारी आपूर्ति ओदश(supply order) में वर्णित नियमों एवम् शर्तो(terms, conditions & specifications) तथा अनुमादित मास्टर सैम्लज से भिन्न वर्दियों की आपूर्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं में वर्ष 2019–20 की वर्दियों का आवटंन लैब टैस्टिंग की रिर्पोट के उपरान्त ही किया जाएगा। लैब टैस्टिंग की रिर्पोट प्राप्त करने से पूर्व छात्र– छात्राओं में वर्दियों का आवटंन निर्धारित नियमों की अवहेलना व उलघंन समझा जाएगा, जिसके लिए दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

3. प्रत्येक वर्दी प्रात्तकर्ता अधिकारी (BPEOs/ Principals GSSS) वर्दियों की आपूर्ति प्राप्ति के साथ वर्दी आपूर्तिकर्ता कम्पनी (Supplier firm)से वर्दियों के मूल क्रय बिल, जी.आर., लैब टैस्ट रिर्पोट तथा ई–बे बिल रिपोटर्स को पूर्ण रूप में प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा उसके उपरान्त प्रत्येक प्राप्तकर्ता अधिकारियों द्वारा वर्दियों के मूल सत्यापित क्रय विल, जी.आर., लैब टैस्ट रिर्पोट तथा ई–बे बिल अपने हस्ताक्षर एवं मोहर सहित प्रबधक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ब्लाक न0 16–17, एस.डी.ए. कमर्शियल कमपलैक्स कसुम्पटी, शिमला–171009, के कार्यालय को भुगतान हेतु भिजवाना सुनिश्चित किया जाएगा।

4. प्रत्येक वर्दी प्रात्तकर्ता अधिकारी (BPEOs/ Principals GSSS) यह सुनिश्चित करेंगें कि वर्दियों की आपूर्ति प्राप्त होने के उपरान्त लैब टैस्टिंग हेतू अपने **कार्यालय में एक तीन सदस्य कमेटी का गठन करके** कुल प्राप्त की गई वर्दियों में से एक वर्दी का random sample निकालने के उपरान्त कर random sample को अपनी मोहर एंवम् हस्ताक्षर सहित, निम्न वर्णित प्रमाण के अनुसार प्रबधक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ब्लाक न0 16–17, एस.डी.ए. कमर्शियल कम्पलैक्स कसुम्पटी, शिमला–171009, के कार्यालय को वर्दियों की आपूर्ति प्राप्त करने के पश्चात तीन दिनों के भीतर जमा करवाना सुनिश्चित करें।

प्रमाण पत्र

क) स्कूल का नामः
ख) भेजे गये नमूनों की संख्याः
(हस्ताक्षर एवं संबन्धित अधिकारी की मोहर तथा वर्दियों के सैट नं. के ब्यौरे सहित)
ग) दिनांक जिस तिथि को सैम्पल लिया गयाः
घ) आपूर्तिकर्ता का नाम, बिल संख्या व दिनांकः(जिसके अंतर्गत वर्दियां प्राप्त हुई)

हस्ताक्षर (मोहर सहित)
सक्षम अधिकारी का नाम
कार्यालय / स्कूल का नाम

5. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम प्रात्तकर्ता अधिकारियों (BPEOs/ Principals GSSS) द्वारा जमा करवाये वर्दियों के नमूनों(random sample)को समयवद्ध तरीके से सरकार द्वारा निर्धारित NABL लैबों से परीक्षण(testing) करवाएगा तथा निगम परीक्षण रिर्पोट(Lab test report) अविल्म्ब प्रात्तकर्ता अधिकारियों (BPEOs/ Principals GSSS) को e-mail द्वारा समय पर उवलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगा, तद्दोपरान्त ही वर्दियों का आवटंन छात्र–छात्राओं में शीघ्र किया जाएगा।

6. सभी उप–निदेशक प्रा0 / उच्च शिक्षा को यह भी सूचित किया जाता है कि स्वीकृत एल–1 कम्पनी M/s Mafatlal Industries Ltd., Corporate Office, Kaledonia, Office No. 3, 6th Floor, Sahar Road, Andheri(East), Mumbai-400069 द्वारा स्कूल वर्दी की आपूर्ति प्रत्येक चिन्हित प्राप्तकर्ता अधिकारी के कार्यालय(FOR) तक की जाएगी, इसलिए प्राप्तकर्ता अधिकारियों के कार्यालय से स्कूलों तक वर्दियों की ढूलाई (carriage) हेतू transportation/carriage charges की अदायगी का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा। अतः वर्दियों की ढूलाई (carriage) के बिल आप अपने कार्यालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी(वि0 एवम् ले0)से सत्यापित (हस्ताक्षर एवं मोहर सहित) करवाने के उपरान्त सभी प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूर्ण करके प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को भेजने की कृपा करे, ताकि विभाग द्वारा नियमानुसार इसका भुगतान आपको किया जा सके। इस सन्दर्भ में आपको यह भी निदेश दिए जाते है कि आप किसी भी पाठशाला में बच्चों से स्कूल वर्दियों की ढूलाई(carriage) हेतू किसी भी प्रकार का

transportation/carriage charges वसूल न करें। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चों से वर्दियों की ढूलाई का कार्य न करवायें, यदि इस सन्दर्भ में किसी प्रकार की शिकायत सरकार/विभाग के ध्यान में आती है तो दोषी पाठशाला प्रमुखों/कर्मचारियों/अध्यापकों के विरूध नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

कृप्या इसे अति आवश्यक और समयवद्ध समझे।

(शुभ कर्ण सिंह, हि0प्र0से)
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश, शिमला –171001

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक अगस्त, 2020
प्रतिलिपि :–

1. सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. प्रबधंक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ब्लाक न0 16–17, एस.डी.ए. कमर्शियल कमपलैक्स कसुम्पटी, शिमला–171009 को उनके पत्र संख्याः Pro. ASVY 2019-20-8255-8267 दिनांक 07.08.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वह भी अपने अधीनस्थ सभी पाठशालाओं के प्रमुखों को इस सम्बन्ध में उपरोक्त दिशा–निर्देश जारी करने की कृपा करें।
4. रक्षक नस्ति।

(शुभ कर्ण सिंह, हि0प्र0से0)
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश, शिमला –171001

एच.पी. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: ब्लॉक नं. 16-17, एस.डी.ए. कमर्शियल कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171 009, हि0 प्र0
सी.आई.एन.: U99999HP1980SGC004263
जी.एस.टी.आई.एन.: 02AABCH4054K1ZV
दूरभाष नं.: 0177-2621583, 2621951, 2627951, 2621176, 2627017, 2620539
फैक्स नं.: 0177-2625537
ई-मेल: headoffice@himapurti.com,
वैबसाईट: www.himapurti.in

स्पीड पोस्ट/ फैक्स

संख्या: Pro. ASVY/2019-20- 8255-8267 दिनांक: 07-08-2020

M/S Mafatlal Industies Ltd.,
Corporate Office, Kaledonia,
Office No. 3, 6th Floor, Sahar Road,
Andheri (East), Mumbai-400 069.

विषय: - ''अटल स्कूल वर्दी योजना'' के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लड़को तथा लड़कियों की वर्दियों की आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश । परचेज आर्डर न0-1-620-2020 दिनांक 07-08-2020.

महोदय,

''अटल स्कूल वर्दी योजना'' के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 एवम् 2019-20 में हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियो को वर्दियों की आपूर्ति हेतु दिनांक 17.01.2019 को आमत्रित किए गए टेण्डर अनुसार छात्र तथा छात्राओं की वर्दियों की आपूर्ति हेतु आप द्वारा निविदा में प्रस्तुत वर्दियों के नमूनों एवं प्रेषित दरों को प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देश दिये जाते हैं कि निविद दस्तावेज की शर्त सं0 19 के अनुसार आपूर्ति आदेश की कुल राशि का 5 प्रतिशत बतौर परफॉरमेन्स सिक्योरिटी डिपोजिट 7 दिनों के भीतर (आपूर्ति आदेश की तिथि से) जमा करवाये।

वर्दियों की आपूर्ति हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा प्रधानाचार्यों को की जानी है। वर्दियों की आपूर्ति, आपूर्ति आदेश की तिथि से अगले दिन से शुरु मानी जाएगी तथा निविदा की शर्त सख्या: 30 के अनुसार वर्दियो की कुल अपूर्ति 120 दिनों मे जिसमें प्रथम 5 प्रतिशत मात्रा की आपूर्ति 45 दिनो में तथा शेष 95 प्रतिशत मात्रा की आपूर्ति कुल 75 दिनों के भीतर करनी होगी। अत: आपको निर्देश दिए जाते हैं कि **अनुंलग्नक-''डी''(संलग्न)** मे दर्शाए गए गन्तव्य स्थानों के मांगकर्ता अधिकारियों (Indenting Officers) को उनके नाम के आगे दर्शाए गए वर्दियों के सैटस/पैकेटस निम्नलिखित शर्तों अनुसार आपूर्ति करना सुनिश्चित करें जिनका सेट-वार ब्यौरा इस प्रकार से है:-

Sr.No.	Class (For Boys)	Uniform Set No. (For Boys)	Required Set (in Sets)	Rate Per Set	Amount (in Rs.)
1	1st -5th (Boys)	Set No.-1	138333	569.10	78725310
2	6th-10th (Boys)	Set No.-2	174125	652.41	113600891
3	1st -5th (Girls)	Set No.-3	140567	579.86	81509181

4	6th-10th (Girls)	Set No.-4	174196	851.00	148240796
5	11th-12th (Boys)	Set No.-5	79771	691.16	55134524
6	11th-12th (Girls)	Set No.-6	83248	900.76	74986468
		Total	**790240**		**55,21,97,171**

1. वर्दियों के सैटस/पैकेटस की आपूर्ति ई-निविदा में निर्धारित शर्तो एंव मापदण्डों Specification एवं वांछित Test method के अनुरुप हो जिसका विवरण **अनुंलग्नक 'सी'(संलग्न)** मे दिया गया है, के अनुसार ही होनी चाहिए ।आपूर्ति की गई वर्दीयां यदि निर्धारित मापदण्डों एवं गुणवत्ता से भिन्न पाई जाती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा निविदा/अनुवन्ध की शर्तों अनुसार आपके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।
2. वर्दियों के सैटस/पैकेटस की आपूर्ति निम्न प्रकार से अनुमोदित दरो एवं प्रस्तुत नमूनों अनुसार प्रति पैक/सैट संलग्न **अनुलग्नक-'डी'** मे दर्शाए गए गन्तव्य स्थानों पर प्राप्तकर्ता अधिकारियों को एफ.ओ.आर. सभी करों/वैट व अन्य खर्चों सहित करनी होगी। प्रत्येक सैटस/पैकेटस में पैक की गई वर्दी के कपड़ों का विवरण इस प्रकार से है :-

क स	वर्दी के कपड़े के सटों का सैट-बार विवरण	दर प्रति सैट/पैक (सभी करों/जी.एस.टी. व अन्य खर्चों सहित) एफ.ओ.आर. गन्तब्य स्थान (रुपयों में)
1.	Set No.-1 Shirt & Trouser (Boys) Class 1st to 5th – Shirt Trouser	 288.40 Per Set 280.70 Per Set
	Total Cost of Complete Set No. 1	**569.10 Per Set**
2.	Set No. -2 **(Shirt& Trouser For Boys Class 6th-10th)** **Shirt** **Trousers**	 329.60 Per Set 322.81 Per Set
	Total Cost of Complete Set No. 2	**652.41 Per Set**
3.	Set No.- 3 Kamiz and Salwar (Girls) Class 1st to 5th– Kamiz = Salwar	 302.76 Per Set 277.10 Per Set
	Total Cost of Complete Set no. 3	**579.86 Per Set**
4.	Set No.- 4 Kamiz, Salwar and Dupatta For (Girls) Class 6th to 10th – Kamiz Salwar **Dupatta**	 378.45 Per Set 366.75 Per Set 105.80 Per Set

	Total Cost of Complete Set No. 4	851.00 Per Set
5	Set No.-5 Shirt & Trouser (Boys) Class 11th to 12th – Shirt Trouser	 354.32 Per Set 336.84 Per Set
	Total Cost of Complete Set No. 5	691.16 Per Set
6	Set No.- 6 Kamiz, Salwar and Dupatta For (Girls) Class 11th to 12th – Kamiz Salwar Dupatta	 386.86 Per Set 374.90 Per Set 139.00 Per Set
	Total Cost of Complete Set No. 6	900.76 Per Set

3. प्रत्येक सैटस/पैकेटस में पैक की गई वर्दी के कपड़ों का विवरण लिखना अनिवार्य है तथा यही विवरण सैटस/पैकेटस के अन्दर भी होना चाहिए और इसी अनुसार वर्दी का कपड़ा निर्धारित लम्बाई, चौड़ाई व रंग का होना चाहिए । प्रत्येक सैटस/पैकेटस पर **"H.P. Govt. Supply-Atal School Vardi Yojna-Not for Sale"** लिखना अनिवार्य होगा। वर्दियों के कपड़े के सैटस/पैकेटस की पैकिंग कपड़े के मजबूत चौड़े फीते से की जाए, जिस पर **"H.P. Govt.Supply - Atal School Vardi Yojna -Not for Sale"** लिखा हो । इसके अतिरिक्त वर्दियो की पैकिंग उचित प्रकार से की जाए ताकि रास्ते में किसी प्रकार का नुकसान न होने पाए अन्यथा इसकी पूर्ण जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी । परिवहन के दौरान वर्दी की आपूर्ति के किसी भी प्रकार के नुकसान व कमी के लिए आपूर्तिकर्ता स्वंय जिम्मेवार होगा । उक्त के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता को वर्दियों की आपूर्ति In standard Packs of 50 sets and the left over sets to be supplied in individual sets के हिसाब से करनी होगी।
4. **अनुलग्नक ''डी''** में दर्शाए गए विवरण अनुसार मांगकर्ता अधिकारियों को समस्त प्रकार की वर्दियों के सैटस/पैकेटस की आपूर्ति निविदा की शर्तों एवं **अनुबंध के अनुसार निर्धारित अवधि में आपूर्ति की जाएगी। निविदा के अनुसार आपूर्तिकर्ता को कम से कम कुल आदेशित मात्रा की 5% मात्रा की आपूर्ति 45 दिनों के भीतर तथा शेष 95% मात्रा की आपूर्ति 120 दिनों के भीतर पूर्ण करनी होगी इस प्रकार आपूर्ति आदेश के अनुसार वर्दियों की आपूर्ति सभी मांगकर्ता अधिकारियों को कुल 120 दिनों में पूर्ण करनी होगी, अन्यथा इसके पश्चात देर से आपूर्ति किए गए सैटों के प्रति 2% प्रति सप्ताह की दर से Liquidated Charges वसूल किए जाएंगे** तथा आपूर्ति पूरी न करने की स्थिति मे अनुबंध एवं निविदा की शर्तों अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।
5. भुगतान हेतु जारी किए गए प्रत्येक क्रय बिल मे आपूर्ति आदेश संख्या व दिनांक, कपड़े का बैच न0, लॉट न0 एवं वर्दियों के सैटस/पैकेटस में डाले गए कपड़ों का

पूर्ण विवरण जैसे कपड़ों की लम्बाई, चौड़ाई व रंग इत्यादि दर्शाना अनिवार्य होगा। क्रय बिल प्राप्तकर्ता अधिकारियों के नाम पर ही जारी होने चाहिए तथा परिवहन सम्बन्धी मूल जी.आर. एवं क्रय बिल, लैब टैस्ट रिपोर्ट सहित निविदा की शर्तों अनुसार समस्त प्राप्तकर्ता अधिकारियो को भेजना अनिवार्य होगा तथा इन दस्तावेजों की एक मूल प्रति निगम के मुख्यालय को भेजनी होगी ।

6. वर्दियों के आपूर्ति आदेश अनुसार आपूर्तिकर्ता आपूर्ति की जाने वाली वर्दियों के सभी सैटों की गुणवता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत वर्दियो के कपड़ें का विश्लेषण किसी भी मान्यता प्राप्त NABL accredited लैब से टैस्ट ई-निविदा में संलग्न ''अनुलग्नक सी'' में दर्शाये गये प्रत्येक वर्दी-वार वांछित test method ASTM (American Society for Testing and Materials) AATCC (American Association of Textile Chemists and Colorists) and IS. अनुसार कपड़े का विश्लेषण करवाकर उसकी Passed lab test report भी वर्दियों की आपूर्ति के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। टैस्ट करवाने पर यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध अनुबन्ध एवं निविदा की शर्तों अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा आपूर्तिकर्ता को वर्दी का ऐसा स्टाक अपने खर्चे पर निर्धारित अवधि के भीतर बदलना/उठाना होगा जिसके लिए विभाग/निगम उत्तरदायी नहीं होगा ।
7. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए वर्दी के कपड़े की गुणवत्ता को ई-निविदा की शर्तों एवं मापदण्डों अनुसार सुनिश्चित करने के लिए इनका परीक्षण/विश्लेषण ई-निविदा की शर्तों अनुसार भी किया जाएगा।
8. आपूर्तिकर्ता को वर्दियों की आपूर्ति के प्रति राशि का भुगतान अनुबन्ध की शर्तों अनुसार किया जाएगा ।
9. आपूर्तिकर्ता M/s Mafatlal Industries Ltd. situated at HDIL- Kaledona Building, Office No.3, 6th Floor, Sahar Road, Andheri East, Mumbai-400069 को वर्दियों की Manufacturing activities Composite Textile Mill Certificate में वर्णित निम्न Textile Mill location से निविदा की वांछित specifications अनुसार निर्मित होने उपरान्त आपूर्ति करनी होगी।

   (1)M/s Mafatlal Industries Ltd. Kapadvanj Road, Nadiad, Distt. Kheda, Gujarat- 387001

   (2) Vejalpore, Navsari, Valsad, Gujrat-386445.

   आपूर्तिकर्ता द्वारा वर्दियों के सभी सैटों की आपूर्ति निविदा मे अपलोड किये गये Govt. of India, Ministry of Textile, office of the Textiile Commissioner, Nishtha Bhavan, 48, Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-20 द्वारा जारी Composite Textile Mills Certificate No. 7/48/Comp/2017/SITP/43- dated

22.12.2017 **(copy enclosed)** में दर्शाए गये Textile Mills, location से ही शिक्षा विभाग के विभिन्न मांग अधिकारियों वर्दियों का डिस्पैच (Dispacth) करना अनिवार्य होगा । यदि वर्दी नं. 4,6 में दुपट्टा outsource है तो भी ऐसी दशा मे भी सारी वर्दियों की आपूर्ति आपूर्ति आदेश अनुसार (सैट नं. 1 से 6) तक उक्त Composite Textile Mills Certificate मे दर्शाये गये टैक्सटाईल मिल की location से करनी अनिवार्य होगी।

10(i). The composite mill manufacturer should have the capability of manufacturing of uniform cloth as per tendered quantity besides the availability of requisite machineries for such manufacturing and facilities of packing & dispatches of school uniform cloth. It shall be mandatory for the suppliers to get the tendered quantity of cloth manufactured and dispatched from the Composite Mill premises as reflected in the Composite Mill certificate issued by the Ministry of Textiles, Government of India".

ii) The yarn for the manufacturing of uniform cloth should be manufactured by ring spinning method.

11. The Government reserves the right to consider change in the colour and design for school uniform cloth after one year on the basis of feedback reports from the stakeholders and accordingly the approved L-1 supplier firms shall be bound to supply the school uniform cloth as per revised colour and design on the same rates, specifications as well as on the same terms & conditions of the e-tender.

12. The approved supplier shall affix a sticker (of size 4 inch * 6 inch) on each uniform set containing the information in bold capital letters in respect of scheme of uniform, year of distribution, uniform set number, class to which it pertains, length of each cloth of uniform set. Example: -

"ATAL SCHOOL VARDI YOJNA" (YEAR OF DISTRIBUTION- 2018-19)
SET NO-1 {CLASS 1ST TO 5TH}
CONTAINS UNIFORM CLOTH FOR TWO SHIRTS = 3.5 METRES
CONTAINS UNIFORM CLOTH FOR TWO TROUSERS: 2 METRES.

13. The school uniform supplied should be free from manufacturing defects and free replacement should be given in case of rejection due to manufacturing defects and failure in performance due to manufacturing defects

14. आपूर्तिकर्ता डिस्पैच (Dispatch) की गई वर्दियों की सूचना नियमित तौर पर e-mail/fax द्वारा शिक्षा विभाग एवं इस कार्यालय को हस्ताक्षर सहित नियमित तौर पर भिजवाना सुनिश्चित करेगा।

15. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई वर्दियां टैस्टिंग के उपरान्त घटिया किस्म एवं specifications के अनुसार नहीं पाई जाती हैं तो ऐसी स्थिति में हस्ताक्षरित अनुबन्ध एवं ई-निविदा शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जायेगी जिसके लिए आपूर्तिकर्ता पूर्ण रुप से जिम्मेवार होगा।
16. आपूर्तिकर्ता को शिक्षा विभाग के प्राप्तकर्ता अधिकारियों से मूल बिलों पर आपूर्ति किये गये यूनिफार्म क्लॉथ के स्टॉक, प्राप्ति की तिथि ,सैट-वार प्राप्त किए गए सैटों की संख्याः (In Quantity) दर्शा कर व मोहर सहित हस्ताक्षरित करना सुनिश्चित करें ।
17. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति आदेशानुसार वर्दियों की आपूर्ति पूर्ण होने के उपरान्त इसका पूर्ण लेखा-जोखा जैसेः - बिल न0 व दिंनाक, जी.आर.न0, आपूर्ति की गई वर्दियों की मात्रा (In Quantity) तथा मांगकर्ता अधिकारियों के नाम व स्थान इत्यादि वर्दियों की प्राप्ति की पुष्टि सहित पूर्ण ब्यौरे सहित इस निगम को उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा ।
18. **स्कूल यूनिफार्म की गुणवता, निविदा में दर्शाई गई Specification के अनुसार सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आपूर्तिकर्ता स्कूल यूनिफार्म के प्रत्येक डिलीवरी व बिल के साथ प्रमाणित NABL Lab की परीक्षण रिपोर्ट और ई-वे बिल सलग्न करते हुए शिक्षा विभाग के सम्बन्धित प्राप्त करता अधिकारी/अधिकारियों को प्रस्तुत करने होगे तथा भुगतान के लिए निगम (HPSCSC) को प्रेषित करेगा।**
19. अन्य शर्ते **अनुबन्ध एवं निविदा** की शर्तो अनुसार लागू होगी ।

भवदीय,

(डॉ. तनुजा जोशी) हि.प्र.से.
कार्यकारी निदेशक

प्रतिलिपिः-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. प्रधान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001 को आपके कार्यालय पत्र संख्याः No.EDN-H-(Ele.)6 (3)-10/2020 दिनांक 25.06.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। उनसे अनुरोध किया जाता है कि **संलग्न अनुलग्नक-''डी''** में दर्शाए गए शिक्षा विभाग के प्रत्येक प्राप्तकर्ता

अधिकारियों (BPEO/GSSS Principals) को आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने स्तर पर उक्त आपूर्ति आदेश की प्रति भिजवाएं तथा उन्हें उक्त आदेशों के कियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी करें तथा उन्हें निम्न निर्देश दिए जाए कि:

i. शिक्षा विभाग के प्राप्तकर्ता अधिकारी वर्दियों की प्राप्ति के समय उसके मूल बिल, जी.आर., लैब टैस्ट रिपोर्ट तथा **ई-वे बिल** आपूर्तिकर्ता से पूर्ण रुप मे प्राप्त करेगे।

ii. वर्दियों की प्राप्ति शीघ्र प्राप्त की जाए तथा आपूर्ति किए गए कपड़ों वर्दियों के मूल बिलों पर सैट-वार प्राप्त किए गए सैटों की संख्याः ,स्टॉक प्राप्ति की तिथि दर्शाकर व मोहर सहित हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

iii. आपूर्तिकर्ता को संबन्धित शिक्षा विभाग के प्राप्तकर्ता अधिकारियों से वर्दियो के मूल सत्यापित कय बिल व जी.आर. हस्ताक्षर एवं मोहर सहित उपरांत इस निगम के मुख्यालय को भुगतान हेतु भिजवाना सुनिश्चित करना होगा ।

iv. आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई वर्दियों के कपड़ो को निविदा में निर्धारित .मापदण्डों (Specification) के अनुसार सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक मांगकर्ता अधिकारियो को उपलब्ध करवाई वर्दियो की लैब टैस्टिंग हेतु प्रत्येक मांगकर्ता अधिकारी (खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला) से वर्दी के पूर्ण सैट के दो-दो नमुनें प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित मुख्यालय शिमला 171009 के कार्यालय में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवाये तथा लैब टैस्टिंग हेतु भेजे जाने वाले कपड़ों के नमूनों पर संबन्धित मांगकर्ता अधिकारियों से वर्दियो के प्रत्येक नमूनों (पूर्ण वर्दी का सैट जिसमें प्राथमिक पाठशालाओं के लिये सैट नं. 1 व 3 तथा उच्च माध्यमिक पाठशालाओं के लिये सैट नं. 2,4.5 व 6 है, को भेजा जाना वांछित है) पर मोहर सहित अपने हस्ताक्षर करने के उपरांत, निम्न दर्शाये गये प्रमाण पत्र सहित इस निगम को उपलब्ध करवाये।

प्रमाण पत्र

1. स्कूल का नाम
2. भेजे गये नमूनों की संख्या (हस्ताक्षर एवं संबन्धित अधिकारी की मोहर तथा वर्दियों के सैट नं. के ब्यौरे सहित)
3. दिनांक जिस तिथि को सैम्पल लिया गया
4. आपूर्तिकर्ता का नाम, बिल संख्या व दिनांक (जिसके अंतर्गत वर्दियां प्राप्त हुई)
5. स्कूल की ई-मेल ID, Phone No./Mobile No.

हस्ताक्षर (मोहर सहित)
सक्षम अधिकारी का नाम
कार्यालय/स्कूल का नाम

5. वित्त प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित, शिमला-171009 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
6. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। सिस्टम एनालिस्ट, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित, मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।

कार्यकारी निदेशक